HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14031/2025

Hariram Alias Chhotu S/o Shri Surajmal, Aged About 24 Years, R/o Kajaliya, Police Station Aklera, At Present Nai Basti Aklera, District Jhalawar (Raj.) (Presently Confined In District Jail At Jhalawar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14115/2025

Biramchand S/o Babulal, Aged About 31 Years, R/o Kachnariya Police Station Aklera District Jhalawar (Raj) (At Present Confined In Sub District Jail Aklera District Jhalawar (Raj)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14116/2025

Sugan Meena S/o Tarachand, Aged About 25 Years, R/o Kajaliya, Police Station Aklera, District Jhalawar (Raj.) (Petitioner Is In Sub Jail Aklera).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Narsi Prasad Sharma Mr. Rohit Khandelwal Ms. Shazadi Bano for Mr. Ali Mohammed Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

13/11/2025

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 499/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 25, 29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, लंबे समय से अभिरक्षा में है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामद मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन है कि यद्यपि बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है, परंतु अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

जमानत प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से 65.1 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, जिसे विद्वान लोक अभियोजक ने भी विाणिज्यिक मात्रा से कम होना बताया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुगन मीणा और हरिराम के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त बीरमचन्द के 6 प्रकरण दर्ज होने होने बताए गए हैं, लेकिन उनमें से एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कोई अपराध नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. हरिराम उर्फ छोटू पुत्र सूरजमल 2. बीरमचन्द पुत्र बाबुलाल 3. सुगन मीणा पुत्र ताराचन्द** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /139-141